रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052021-226815 CG-DL-E-01052021-226815

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 1, 2021/वैशाख 11, 1943

No. 246]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 1, 2021/VAISAKHA 11, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2021

सं. 08/2021-केन्द्रीय कर

सा.का.िन. 304(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पिठत धारा 148 द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 13/2017- केन्द्रीय कर, दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का.िन. 661(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

(i) उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक में, निम्नलिखित को तालिका में क्र. सं. 3 के बाद अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थातु --

(1)	(2)	(3)	(4)
"4	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021

2445 GI/2021 (1)

5	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021 , अप्रैल 2021
6	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021
7	करदाता जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	`

2. इस अधिसूचना को अप्रैल, 2021 के 18वें दिन से लागू माना जाएगा।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/08/2020-जीएसटी] राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना सं. 13/2017, दिनांक 28 जून 2017 को सा.का.िन. 661(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधन अधिसूचना सं. 51/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 24 जून 2020, जिसे सा.का.िन. 404(अ), दिनांक 24 जून 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2021

No. 08/2021- Central Tax

G.S.R. 304(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 148 of the said Act, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 13/2017 – Central Tax, dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 661(E), dated the 28th June, 2017, namely:–

(i) In the said notification, in the first paragraph, in the first proviso, in the Table after S. No. 3, the following shall be inserted, namely: –

(1)	(2)	(3)	(4)
"4.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees	9 per cent for the first	March, 2021,
	5 crores in the preceding financial year	15 days from the due	April, 2021
		date and 18 per cent	
		thereafter	

5.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021
6.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021
7.	Taxpayers who are liable to furnish the return as specified under sub-section (2) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	Quarter ending March, 2021.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of April, 2021.

[F. No. CBEC-20/06/08/2020-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification number 13/2017 – Central Tax, dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 661(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended *vide* notification number 51/2020 – Central Tax, dated the 24th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 404(E), dated the 24th June, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2021

सं. 09/2021-केन्द्रीय कर

सा.का.िन. 305(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की शिफ़ारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 76/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसंबर 2018, जिसे सा.का.िन. 1253(अ), दिनांक 31 दिसंबर 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिसूचना के सातवे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थातु: -

"परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो निम्न तालिका के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट किए गए है, जो प्ररूप जीएसटीआर-3ख विवरणी को नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में विफल रहे है, निम्न तालिका के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस को निम्न तालिका के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा के लिए अधित्यक्त किया जाता है, अर्थात्—

तालिका

क्र. सं. (1)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	कर अवधि (3)	सीमा जिसके लिये विलंब फीस अधित्यक्त किया गया
			(4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल	मार्च 2021 और अप्रैल	विवरणी प्रस्तुत करने के
	आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	2021	नियत तारीख से पहले पंद्रह
			दिन तक

2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल	मार्च 2021 और अप्रैल	विवरणी प्रस्तुत करने के
	आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39	2021	नियत तारीख से पहले तीस
	की उपधारा-धारा (1) के अधीन विवरणी		दिन तक
	प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं		
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल	जनवरी <i>-</i> मार्च 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के
	आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39		नियत तारीख से पहले तीस
	की उपधारा-धारा (1) के परंतुक के अधीन		दिन तक।"।
	विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं		

2. इस अधिसूचना को अप्रैल, 2021 के 20वें दिन से लागू माना जाएगा।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/08/2020-जीएसटी] राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना सं. 76/2018, दिनांक 31 दिसंबर 2018 को सा.का.नि. 1253(अ), दिनांक 31 दिसंबर 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधित अधिसूचना सं. 57/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 30 जून 2020, जिसे सा.का.नि. 424 (अ), दिनांक 30 जून 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2021

No. 09/2021- Central Tax

G.S.R. 305(E).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 76/2018– Central Tax, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1253(E), dated the 31st December, 2018, namely:–

In the said notification, after the seventh proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 shall stand waived for the period as specified in column (4) of the Table given below, for the tax period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in **FORM GSTR-3B** by the due date, namely:-

Table

S. No.	Class of registered persons	Tax period	Period for which late fee waived
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year		Fifteen days from the due date of furnishing return
2.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as	March, 2021 and April, 2021	Thirty days from the due date of furnishing return

	specified under sub-section (1) of section 39	
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	Thirty days from the due date of furnishing return.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 20th day of April, 2021.

[F. No. CBEC-20/06/08/2020-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secv.

Note: The principal notification No. 76/2018-Central Tax, dated 31st December, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1253(E), dated the 31st December, 2018 and was last amended *vide* notification number 57/2020 – Central Tax, dated the 30th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 424(E), dated the 30th June, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2021

सं. 10/2021-केन्द्रीय कर

सा.का.िन. 306(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की शिफ़ारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल 2019, जिसे सा.का.िन. 322(अ), दिनांक 23 अप्रैल 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के तीसरे अनुच्छेद में पहले परंतुक के पश्चात, निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि उक्त व्यक्ति 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-04 में विवरणी मई 2021 के 31 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे।"।

2. यह अधिसूचना अप्रैल 2021 के 30 वें दिन से प्रवृत हुई मानी जाएगी।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/08/2020-जीएसटी]

राजीव रंजन. अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना सं. 21/2019- केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल 2019, सा.का.िन. 322 (अ), दिनांक 23 अप्रैल 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसे बाद में अधिसूचना सं. 64/2020 - केन्द्रीय कर, दिनांक 31 अगस्त 2020, जिसे सा.का.िन. 539 (अ), दिनांक 31 अगस्त 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2021

No. 10/2021- Central Tax

G.S.R. 306(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2019- Central Tax, dated the 23rd April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 322(E), dated the 23rd April, 2019, namely:—

In the said notification, in the third paragraph, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided further that the said persons shall furnish the return in FORM GSTR-4 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the financial year ending 31st March, 2021, up to the 31st day of May, 2021.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 30th day of April, 2021.

[F. No. CBEC-20/06/08/2020-GST] RAJEEV RANJAN, Under Secv.

Note: The principal notification No. 21/2019- Central Tax, dated the 23rd April, 2019, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 322(E), dated the 23rd April, 2019 and was last amended by notification No. 64/2020-Central Tax, dated the 31st August, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 539(E), dated the 31st August, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली. 1 मई. 2021

सं. 11/2021-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 307(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के नियम 45 के उपनियम (3) के अनुसरण में, बोर्ड के अनुमित से, 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 की अविध के दौरान किसी फुटकर काम करने वाले कर्मकार को पारेषित मालों या किसी फुटकर काम करने वाले कर्मकार से वापस आये मालों के संबंध में, प्ररूप जीएसटी आईटीसी – 04 में प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा करने की समय सीमा को एतद्वारा मई 2021 के 31 वें दिन तक बढ़ाते हैं।

2. यह अधिसूचना अप्रैल 2021 के 25 वें दिन से प्रवृत हुई मानी जाएगी।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/08/2020-जीएसटी] राजीव रंजन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2021

No. 11/2021- Central Tax

G.S.R. 307(E).—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and sub-rule (3) of rule 45 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, with the approval of the Board, hereby extends the time period up to the 31st day of May, 2021, for furnishing the declaration in FORM GST ITC-04, in respect of goods dispatched to a job worker or received from a job worker, during the period from 1st January, 2021 to 31st March, 2021.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 25th day of April, 2021.

[F. No. CBEC-20/06/08/2020-GST] RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली. 1 मई. 2021

सं. 12/2021-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 308(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पिठत धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 83/2020-केंद्रीय कर, दिनांक 10 नवंबर 2020, जिसे सा.का.नि. 699 (अ), दिनांक 10 नवम्बर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में परंतुक के बाद, निम्न परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं, माह अप्रैल 2021 की कर अविध के लिए, उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के ब्यौरों को प्रस्तुत करने की समय सीमा को उक्त कर अविध के उत्तरवर्ती माह के छब्बीसवें दिन तक बढाया जाता है।"

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/08/2020-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना सं. 83/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 10 नवम्बर 2020, को सा.का.नि. 699 (अ), दिनांक 10 नवम्बर 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2021

No. 12/2021- Central Tax

G.S.R. 308(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 83/2020 – Central Tax, dated the 10th November, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 699(E), dated the 10th November, 2020, namely:—

In the said notification, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the time limit for furnishing the details of outward supplies in FORM GSTR-1 of the said rules for the registered persons required to furnish return under sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the tax period April, 2021, shall be extended till the twenty-sixth day of the month succeeding the said tax period."

[F. No. CBEC-20/06/08/2020-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification number 83/2020 – Central Tax, dated the 10th November, 2020, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 699(E), dated the 10th November, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2021

सं. 13/2021-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 309 (अ).—केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:--

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में,----
- (i) नियम 36 के उपनियम (4) में, पहले परंतुक के बाद, निम्न परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि उक्त शर्त अप्रैल और मई, 2021 की अविध के लिए संचयी रूप से लागू होगी और मई, 2021 की कर अविध के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।";

3. नियम 59 के उपनियम (2) में, निम्न परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माह अप्रैल 2021 के लिए, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए उक्त ब्यौरों को, मई 2021 के पहले दिन से 28 वें दिन तक प्रस्तुत कर सकता है|

[फ़ा.सं. सीबीईसी 20/06/08/2020-जीएसटी]

राजीव रंजन. अवर सचिव

नोट: मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) की अधिसूचना संख्या 3/2017-केंद्रीय कर, दिनांक 19 जून, 2017, सा.का.नि. 610(अ), के तहत और अंतिम संशोधित नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) की अधिसूचना संख्या 7/2021 - केंद्रीय कर, 27 अप्रैल, 2021, सा.का.नि. 292(अ), के तहत प्रकाशित गए गए थे I

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2021

No. 13/2021 - Central Tax

- **G.S.R. 309(E).**—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-
- 1. **Short title and commencement**. -(1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2021.
- (2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017,----
- (i) in sub-rule (4) of rule 36, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that such condition shall apply cumulatively for the period April and May, 2021 and the return in **FORM GSTR-3B** for the tax period May, 2021 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.";

(ii) in sub-rule (2) of rule 59, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that a registered person may furnish such details, for the month of April, 2021, using IFF from the 1st day of May, 2021 till the 28th day of May, 2021.".

[F. No. CBEC-20/06/08/2020-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 07/2021 - Central Tax, dated the 27th April, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 292 (E), dated the 27th April, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2021

सं. 14/2021 - केन्द्रीय कर

सा.का.िन. 310(अ).—केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के कई हिस्सों में महामारी कोवीड-19 के चलते यह अधिसूचित करती है कि –

- (i) जहां, िकसी भी प्राधिकरण द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा िकसी भी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा को, जो अप्रैल, 2021 के 15 वें दिन से मई, 2021 के 30 वें दिन तक की अविध के दौरान आता है, उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित िकया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरी करना या उसका अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं की गई है, तो, निम्न उद्देश्यों सिहत के लिए, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा मई, 2021 के 31वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी -
 - (क) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानो के अधीन किसी भी प्राधिकरण, आयोग या न्यायाधिकरण द्वारा, किसी कार्रवाई को पूरी करना, किसी भी आदेश पारित करने, किसी नोटिस को जारी करना, सूचना, अधिसूचना, संस्वीकृति या अनुमोदन या इस तरह की अन्य कार्रवाई, जो भी नाम से हो; या
 - (ख) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, कोई अपील दाखिल करना, कोई भी रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणनी, ब्यान, या ऐसे अन्य रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना, जो भी नाम से पुकारा जाता है;

लेकिन, समय का ऐसा विस्तार उक्त अधिनियम के निम्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए लागू नहीं होगा, जैसा कि नीचे वर्णित है -

- (क) अध्याय IV;
- (ख) धारा 10 की उपधारा (3), धारा 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;
- (ग) धारा 39, परंतु, उपधारा (3), (4) और (5) को छोड़कर;
- (घ) धारा 68, जहां तक ई-वे बिल का संबंध है; तथा

(ड) ऊपर वर्णित अध्याय और धारा के तहत बनाए गए नियम;

परंतु जहां, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 9 के तहत निर्दिष्ट, या निर्धारित या अधिसूचित किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने की कोई समय सीमा, जो मई, 2021 के पहले दिन से मई, 2021 के इकत्तीसवें दिन तक की अविध के दौरान आती है, और जहां ऐसी कार्रवाई ऐसे समय के भीतर पूरी नहीं की गई है, तो, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की समय सीमा, जून, 2021 के पंद्रहवां दिन तक विस्तार किया जाता हैं।

- (ii) ऐसे मामलों में जहां रिफंड के दावे को, पूर्ण या भाग में, अस्वीकार करने के लिए नोटिस जारी किया गया है, और जहां आदेश जारी करने की समय सीमा धारा 54 उप-धारा (7) के साथ पठित उप-धारा (5) के प्रावधानों के संदर्भ में अप्रैल, 2021 के पंद्रहवें दिन से मई, 2021 के तीसवें दिन तक की अविध के दौरान आती है, ऐसे मामलों में उक्त आदेश जारी करने की समय सीमा रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति से नोटिस का जवाब प्राप्ति के पंद्रह दिन बाद या मई, 2021 के इकत्तीसवें दिन, जो भी बाद में हो, तक बढ़ा दिया जाता हैं।
- 2. यह अधिसूचना अप्रैल, 2021 के 15 वें दिन से प्रवृत हुई मानी जाएगी।

[फा.सं. सीबीईसी 20/06/08/2020-जीएसटी]

राजीव रंजन. अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2021

No. 14/2021 - Central Tax

- **G.S.R. 310(E).**—In exercise of the powers conferred by section 168A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), in view of the spread of pandemic COVID-19 across many parts of India, the Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies, as under,-
- (i) where, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority or by any person, has been specified in, or prescribed or notified under the said Act, which falls during the period from the 15th day of April, 2021 to the 30th day of May, 2021, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall be extended upto the 31st day of May, 2021, including for the purposes of--
 - (a) completion of any proceeding or passing of any order or issuance of any notice, intimation, notification, sanction or approval or such other action, by whatever name called, by any authority, commission or tribunal, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above; or
 - (b) filing of any appeal, reply or application or furnishing of any report, document, return, statement or such other record, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above;

but, such extension of time shall not be applicable for the compliances of the following provisions of the said Act, namely: -

- (a) Chapter IV;
- (b) sub-section (3) of section 10, sections 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;
- (c) section 39, except sub-section (3), (4) and (5);
- (d) section 68, in so far as e-way bill is concerned; and
- (e) rules made under the provisions specified at clause (a) to (d) above :

Provided that where, any time limit for completion of any action, by any authority or by any person, specified in, or prescribed or notified under rule 9 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, falls during the period from the 1st day of May, 2021 to the 31st day of May, 2021, and where completion of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion of such action, shall be extended upto the 15th day of June, 2021;

(ii) in cases where a notice has been issued for rejection of refund claim, in full or in part and where the time limit for issuance of order in terms of the provisions of sub-section (5), read with sub-section (7) of section 54 of the said Act falls during the period from the 15th day of April, 2021 to the 30th day of May, 2021, in such cases the time limit for issuance of the said order shall be extended to fifteen days after the receipt of reply to the notice from the registered person or the 31st day of May, 2021, whichever is later.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of April, 2021.

[F. No. CBEC-20/06/08/2020-GST] RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2021

सं. 01/2021-एकीकृत कर

सा.का. नि. 311 (अ).—सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पिठत केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पिठत धारा 148 द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 06/2017- एकीकृत कर, दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 698(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

(i) उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक में, निम्नलिखित को तालिका में क्र.सं. 3 के बाद अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् -

(1)	(2)	(3)	(4)
"4	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021
5	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021 , अप्रैल 2021
6	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021
7	करदाता जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	तिमाही जो मार्च 2021 को समाप्त हो रही है ।"।

2. इस अधिसूचना को अप्रैल, 2021 के 18वें दिन से लागू माना जाएगा।

[फा. सं. सीबीईसी- 20/06/08/2020-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना सं. 06/2017, दिनांक 28 जून 2017 को सा.का.िन. 698 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधित अधिसूचना सं. 05/2020- एकीकृत कर, दिनांक 24 जून 2020, जिसे सा.का.िन. 410(अ), दिनांक 24 जून 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2021

No. 01/2021 - Integrated Tax

G.S.R. 311(E).—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (1) of section 50 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 6/2017 – Integrated Tax, dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 698(E), dated the 28th June, 2017, namely:–

(i) In the said notification, in the first paragraph, in the first proviso, in the Table after S. No. 3, the following shall be inserted, namely: –

(1)	(2)	(3)	(4)
"4.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	9 per cent for the first 15 days from the due date and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021
5.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 percent thereafter	March, 2021, April, 2021
6.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021
7.	Taxpayers who are liable to furnish the return as specified under sub-section (2) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	Quarter ending March, 2021.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of April, 2021.

[F. No. CBEC-20/06/08/2020-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification number 06/2017 – Integrated Tax, dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 698(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification number 5/2020 – Integrated Tax, dated the 24th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.410(E), dated the 24th June, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2021

सं. 01/2021-संघ राज्यक्षेत्र कर

सा.का.िन. 312(अ).—सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 10/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 30 जून 2017, जिसे सा.का. नि. 747(अ), दिनांक 30 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्निलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

(i) उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक में, निम्नलिखित को तालिका में क्र॰सं॰ 3 के बाद अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् -

(1)	(2)	(3)	(4)
"4	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021
5	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021 , अप्रैल 2021
6	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021
7	करदाता जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	तिमाही जो मार्च 2021 को समाप्त हो रही है ।"।

2. इस अधिसूचना को अप्रैल, 2021 के 18वें दिन से लागू माना जाएगा।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/08/2020-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना सं. 10/2017, दिनांक 30 जून 2017 को सा.का.िन. 747(अ), दिनांक 30 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधित अधिसूचना सं. 02/2020- संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 24 जून 2020, जिसे सा.का.िन. 408 (अ), दिनांक 24 जून 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2021

No. 01/2021 - Union Territory Tax

G.S.R. 312(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (1) of section 50 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/2017 – Union Territory Tax, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 747(E), dated the 30th June, 2017, namely:–

(i) In the said notification, in the first paragraph, in the first proviso, in the Table after S. No. 3, the following shall be inserted, namely: –

(1)	(2)	(3)	(4)
"4.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	9 per cent for the first 15 days from the due date and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021
5.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 percent thereafter	March, 2021, April, 2021
6.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021
7.	Taxpayers who are liable to furnish the return as specified under sub-section (2) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	Quarter ending March, 2021.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of April, 2021.

[F. No. CBEC-20/06/08/2020-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification number 10/2017 – Union Territory Tax, dated the 30th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 747(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification number 2/2020 – Union Territory Tax, dated the 24th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 408(E), dated the 24th June, 2020.